संख्या- 5/1150/84-1-14-सीपी-16/2005टी.सी.3

प्रेषक,

नेकपाल वर्मा,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,
उ0प्र0, लखनऊ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-1 लखनऊ दिनॉक 20 जनवरी, 2015

विषय- जिला फोरमों के सुदृढीकरण योजना के अन्तर्गत जिला उपभोक्ता फोरम फिरोजाबाद, संतकबीरनगर, बागपत व मैनपुरी हेतु गैर भवन मद में भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3511/एस.सी.डी.आर.सी.यू;पी;/के;स;टीसी-1@2008 दिनॉक 07-11-2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला उपभोक्ता फोरम फिरोजाबाद, संतकबीरनगर, बागपत व मैनपुरी हेतु गैर भवन मद में भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि प्रति जिला फोरम रू0 1,50,000/- कुल रू0 6,00,000/- (छ लाख रूपये) मात्र की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तो के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिस मद हेतु स्वीकृत की जा रही है।

(2) धनराशि का उपयोग करते समय वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों स्थायी आदेशों एवं स्टोर पर्चेज नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा। धनराशि को पी0एल0ए0 व बैंक एकाउण्ट में नहीं रखा जायेगा तथा धनराशि का उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित किये जाने हेतु शासन को प्रेषित किया जायेगा ।

(4) उक्त धनराशि सम्बन्धित जनपद के अनुमन्य आहरण वितरण अधिकारी द्वारा उक्त जनपदों की आवश्यकता पूर्ति हेतु व्यय की जायेगी।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-21 के लेखाशीर्ष-"3456-सिविलपूर्ति-आयोजनागत-001-निदेशन तथा प्रशासन-06-उपभोक्ता संरक्षण के अन्तर्गत स्थापित राज्य आयोग एवं जिला फोरमों का अधिष्ठान-12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण मद के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-2457/दस-14-231/2014, दिनांक 22-7-2014 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहें है।

भवदीय,

(नेकपाल वर्मा)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 5 /1150(1)/84-1-14-तददिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम सम्प्रति यू0पी0 स्टेट कांस्टक्शन एण्ड इन्फरास्टक्चर डेवलेपमन्ट कारपोरेशन लि0 लखनऊ।
4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, योजना भवन, लखनऊ।
6- निदेशक, वित्तीय सांख्यकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7/, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2/ वित्त (लेखा) अनुभाग-1/2
8- उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-2
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नेकपाल वर्मा)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।